

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड IV
PART III—Section IV

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 11, 1981/माघ 22, 1902
No. 2] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 1981/MAGHA 22, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मालग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1981

सं० 9-2/79-ई० पी० —भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37)
की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार की
पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम निम्नलिखित विनियम बनाकर भा० खा० नि० (कर्मचारी
वृन्द) विनियम, 1971 में संशोधन, करना है —

1. (1) के विनियम, भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी वृन्द) (71वां संशोधन)
विनियम, 1981 कहें जायेंगे ।

(2) में 6 फरवरी, 1981 से लागू माने जायेंगे ।

1315 GI/80

(3)

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. IV]

2. (1) परिशिष्ट-2 के क्रमांक 4 की विद्यमान व्यवस्थाएँ अब इस प्रकार होंगी :—

1	2	3	4	5	6	7
4	श्रेणी-1	प्रबन्ध निदेशक	अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक	सभी	अध्यक्ष

अधिनियम 9 (ख) (ii) का अन्तिम वाक्य अर्थात्, 'नियुक्ति प्राधिकारी सामान्यतः मिलेकसन बोर्ड द्वारा तैयार की गई सूची के अनुसार नियुक्ति करेगा', लेकिन यदि कोई नियुक्ति प्राधिकारी बोर्ड की सिफारिशों से सहमत नहीं होता तो वह, उनकी सिफारिशों से असहमति के लिए इसका कारण लिखित में रिकॉर्ड करेगा और ऐसे आदेश पाम करेगा जो उचित समझे' काट दिया जाये।

(3) विनियम 57 (1) में 'बोर्ड या अन्य प्राधिकारी जिसे उसके द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के रूप में शक्तियाँ मिली हों कर सकता है' इन शब्दों को जगह निम्नलिखित रखा जाये :—

'इस बारे में परिशिष्ट-1 में विनिर्दिष्ट बोर्ड या प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी (जो परिशिष्ट-2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से उच्च हो) जो इसके बारे में बोर्ड के सामान्य या विशेष आदेश के रूप में कर सकता है'

जे० डी० बाधा, प्रबन्धक (कार्मिक)

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 1981

No. 9-2/79-EP.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 :

1. (1) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (71st amendment) Regulations, 1981.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 6th February, 1981.

2. (i) The existing provisions appearing against Sl. No. 4 of Appendix-2 shall be substituted as under :—

1	2	3	4	5	6	7
4.	Category-I	Managing Director	Chairman	Managing Director	All	Chairman

(ii) The last sentence appearing in Regulation 9(b)(ii) viz. "The appointing authority shall ordinarily make appointments in accordance with the list prepared by the Selection Board, but where any appointing authority does not agree with the recommendations of the Board, it shall record its reasons in writing for disagreeing with its recommendations and pass such orders as it deems fit.", shall be deleted.

(iii) In Regulation 57(1) for the words "The Board or any other authority empowered by it by general or special order may", the following shall be substituted :—

"The Board or the authority specified in Appendix-2 in this behalf or any other authority (higher than the authority specified in Appendix-2) empowered in this behalf by general or special order of the Board may"

J. D. BACHA, Manager (Personnel)

